

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.360 / 2014  
संस्थित दिनांक 12.05.2014  
फाइलिंग नं.-234503001282014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, परसवाड़ा  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// विरुद्ध //

अवकेश उर्फ छोटू बोरकर पिता चिंतामन बोरकर, उम्र-28 साल,  
निवासी ग्राम कुरेण्डा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----आरोपी

-----  
--:: निर्णय ::--

( दिनांक 22/06/2018 को घोषित किया गया )

**01:-** उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 20.03.2014 को समय रात्रि 09:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरेण्डाटोला में फरियादी श्रीमती रितु बारेकर के पति होते हुए फरियादी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने, इस प्रकार धारा-498ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

**02:-** प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 17.05.2018 को आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया, किन्तु धारा-498ए भा0दं0वि0 राजीनामा योग्य न होने से आवेदन निरस्त कर उक्त धारा में विचारण किया गया।

**03:-** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि वर्ष 2006 में

// 2 //

आप. प्रक. क.360 / 2014

फरियादी रितु का विवाह आरोपी से सामाजिक रीति रिवाज अनुसार हुआ था। विवाह के बाद फरियादी रितु और आरोपी अवकेश के दो बच्चे अजय एवं विजय हुए। आरोपी रायपुर में रहकर मजदूरी करता है तथा फरियादी को उसके जीवन निर्वाह के लिए पैसे नहीं देता था। आरोपी जब भी रायपुर से आता था, तो मोबाईल में लड़की का फोटो दिखाकर उससे शादी करने की बात कहता तथा मारपीट भी करता था। घटना दिनांक 20.03.2014 को रात्रि 9:00 बजे खाना खाने के बाद आरोपी फरियादी को उक्त बातों को लेकर लात-घूसों से मारपीट किया। घटना के उपरांत फरियादी ने पुलिस थाना परसवाड़ा में घटना की रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 58/14 अंतर्गत धारा-498ए भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04:—** आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में अपराध करना अस्वीकार किया है। आरोपी ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

**05:—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:—**

1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.03.2014 को समय रात्रि 09:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरेण्डाटोला में फरियादी श्रीमती रितु बारेकर के पति होते हुए फरियादी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया ?

**—:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—****विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01:—**

**06:—** रितु अ.सा.05 ने बताया है कि आरोपी अवकेश उसका पति है। आरोपी अवकेश से उसका विवाह वर्ष 2006 में हुआ था। उसके दो बच्चे अजय एवं विजय हैं। उसका पति आरोपी अवकेश रायपुर में मजदूरी करता है और वह ग्राम कुरेण्डा ससुराल में रहती थी। खर्चे के लिए पैसे मांगने पर आरोपी कभी-कभी नहीं देता था, जिसके कारण आरोपी से विवाद हो जाता था। घरेलू बात को लेकर कभी-कभी आरोपी से विवाद होता था, जिसके कारण थाना परसवाड़ा में उसने प्र.पी.01 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था और उसका बयान लेखबद्ध किया था। आरोपी ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी अवकेश मोबाईल में फोटो दिखाकर दूसरी लड़की से शादी करने की बात कहता था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी उसे मायके जाओ कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी ने दिनांक 20.03.2014 को उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं कथन प्र.पी.02 में आरोपी द्वारा अक्सर मारपीट करने और दिनांक 20.03.2014 को मारपीट करने की बात बताई थी। यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में वह आरोपी के साथ अच्छे से रहती है, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रही है।

**07:—** राजेश अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी अवकेश को जानता है। फरियादी रितु उसकी बहन है। 6-7 वर्ष पूर्व रितु का विवाह आरोपी अवकेश

से हुआ था। उसकी बहन रितु ने उसे बताया था कि आरोपी उसे मारपीट करता है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह भी बताया है कि दिनांक 20.03.2014 को रात्रि 9:00 बजे आरोपी ने उसकी बहन रितु के साथ मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि किस संबंध में मारपीट करता था उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने मारपीट की बात बताई है, किन्तु स्वयं फरियादी रितु ने मारपीट की घटना का समर्थन नहीं किया है। यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है, जिससे साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है।

**08:—** टीकाराम अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी एवं फरियादी रितु को जानता है। रितु का विवाह आरोपी अवकाश से 06 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके अलावा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 20.03.2014 को रात्रि 9:00 बजे आरोपी ने फरियादी रितु से मारपीट की थी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

**09:—** बैगलाल अ.सा.03 ने बताया है कि आरोपी अवकेश उसका दामाद एवं रितु उसकी बेटी है। एक—दो वर्ष बाद उसकी बेटी को आरोपी परेशान करता था। उसकी लड़की ने आरोपी क्यों परेशान करता था यह नहीं बताया था। उसकी बेटी ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की थी। फिर वह अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला गया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने बताया है कि उसकी पुत्री ने उसे मारपीट करने एवं दिनांक 20.03.2014 को रात्रि 9:00 बजे आरोपी द्वारा मारपीट कर घर से निकालने वाली बात बताई थी। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने उसकी लड़की से मारपीट नहीं की थी। इस साक्षी ने मारपीट की बात बताई है, किन्तु स्वयं

फरियादी रितु ने मारपीट की घटना का समर्थन नहीं किया है। यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है, जिससे साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है।

**10:—** सोनू अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी अवकेश एवं फरियादी रितु को जानता है। आरोपी के घर के सामने उसकी चाय की दुकान है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी अपनी पत्नि रितु को प्रताड़ित करता था। आरोपी के घर से जोर-जोर से आवाजें आती थी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

**11:—** इस प्रकार स्वयं रितु अ.सा.05 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। फरियादी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी अवकेश मोबाईल में फोटो दिखाकर दूसरी लड़की से शादी करने की बात कहता था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी उसे मायके जाओ कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी ने दिनांक 20.03.2014 को उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं कथन प्र.पी.02 में आरोपी द्वारा अक्सर मारपीट करने और दिनांक 20.03.2014 को मारपीट करने की बात बताई थी। फरियादी रितु द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट (देहली एडमिनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010 (2) म.प्र. वी.नो. 79 म.प्र. अवलोकनीय है।



// 6 //

आप. प्रक. क.360 / 2014

12:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 20.03.2014 को समय रात्रि 09:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरेण्डाटोला में फरियादी श्रीमती रितु बारेकर के पति होते हुए फरियादी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। फलतः आरोपी को धारा-498ए भा.दं.वि. के दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

13:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी दिनांक 21.03.2014 से 24.03.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।

15:— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—

(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)